पत्र संख्या-के.बि.सं.केन्द्र/2017-18/ 156 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(केन्द्रीकृत बिल संग्रहण केन्द्र)
लखनऊः दिनांकः 22 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

माल के उत्पादन, आपूर्ति, खरीद या बिक्री तथा सेवाओं पर लगने वाले अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित करते हुए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर माल एवं सेवा कर प्रणाली दिनांक 01.07.2017 से लागू की गई है। जी.एस.टी. प्रणाली में माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर की समान व्यवस्था पूरे देश में लागू हुई है जिसका मुख्य उद्देश्य करों के केसकेडिंग प्रभाव को दूर करना तथा माल एवं सेवाओं के लिए एक समान राष्ट्रीय बाजार (Common National Market) स्थापित करना है। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जी.एस.टी.) में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर देय कर अंतिम रूप से उस राज्य को स्थानांतरित हो जाएगा जहाँ इस माल का अंतिम रूप से उपभोग होगा। उत्तर प्रदेश एक उपभोक्ता बाहुल्य राज्य है अतः उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता द्वारा दिया गया कर सही रूप से उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त हो इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं से ऑनलाइन बिल संग्रहण किए जाने हेतु एक व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। उपभोक्ताओं से बिल संग्रह किए जाने की व्यवस्था होने पर जनसामान्य को जी.एस.टी. प्रणाली से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा और कर संग्रह में जनमानस की सहभागिता होगी तथा इससे जी.एस.टी. प्रणाली का व्यापक प्रचार-प्रसार भी होगा। संग्रहीत बिलों के सत्यापन की कार्यवाही प्रचलन में होने पर कर की चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी। जन सामान्य से बिलों का संग्रहण किये जाने हेतु निम्न व्यवस्था बनाई जाती है।

1. जनसामान्य से बिलों को एकत्रित किए जाने हेतु वाणिज्य कर मुख्यालय में केन्द्रीकृत बिल संग्रहण केन्द्र (Centralized Bill Collection Centre) स्थापित किया जाता है जो पूरे प्रदेश/देश से ऑनलाइन प्राप्त होने वाले बिलों का प्रबन्धन करेगा।
2. बिलों को संकलित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर का **Whatsapp no. 7235001111** होगा।
3. केन्द्रीकृत बिल संग्रहण केन्द्र का **ईमेल आई.डी. upcbcc@gmail.com** होगा।
4. जनसामान्य द्वारा माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में प्राप्त बिलों को उक्त व्हाट्सऐप नम्बर पर अथवा ईमेल आई.डी. पर प्रेषित किया जा सकेगा।
5. केन्द्रीकृत बिल संग्रहण केन्द्र द्वारा व्हाट्सऐप/ईमेल से प्राप्त प्रत्येक बिल के लिए एक Unique Identification Number (UIN) आवंटित किया जाएगा।
6. व्हाट्सऐप तथा ईमेल से प्राप्त बिलों को उनके पते के आधार पर केन्द्रीकृत बिल संग्रहण केन्द्र द्वारा सम्बन्धित जोनल एडीशनल कमिश्नर को ईमेल के माध्यम से विषय में यू.आई.एन. अंकित करते हुए अग्रेषित किया जाएगा। ऐसे बिलों को जोनल एडीशनल कमिश्नर के व्हाट्सऐप नम्बर पर यू.आई.एन. का कैप्शन अंकित करते हुए भी अग्रेषित किया जा सकता है।
7. जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा केन्द्रीकृत बिल संग्रहण केन्द्र से प्राप्त ऐसे बिलों को जिनमें जी.एस.टी.आई.एन./टिन नम्बर अंकित है उन्हें सम्बन्धित उचित अधिकारी (कर निर्धारण अधिकारी) को अगले कार्य दिवस तक व्हाट्सऐप अथवा ईमेल के माध्यम से यू.आई.एन. सहित अग्रिम कार्यवाई हेतु प्रेषित किया जाएगा। जिन बिलों में जी.एस.टी.आई.एन./टिन नम्बर अंकित न हो उन्हें सम्बन्धित उचित अधिकारी (वि.अनु.शा. इकाई) को यू.आई.एन. अंकित करते हुए अगले कार्य दिवस तक प्रेषित किया जाएगा।
8. सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे प्राप्त बिलों को सम्बन्धित व्यापारी के रिटर्न जी.एस.टी.आर.1/3 से सत्यापन किया जाएगा जिस हेतु अधिकतम 2 महीने की समय सीमा निर्धारित की जाती है। जिन बिलों का सत्यापन जी.एस.टी.आर.1/3 से नहीं हो पाता है उन बिलों के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाई की जाएगी और सम्बन्धित व्यापारी के अगले कर अवधि का रिटर्न दाखिल किए जाने की समय सीमा के भीतर कार्यवाई सम्पन्न कर ली जाएगी।

9. जी.एस.टी.आई.एन. (GSTIN) अंकित ऐसे बिल जिसके व्यापारी द्वारा समाधान योजना अपनाई गई है उनके सत्यापन हेतु जिस तिमाही का बिल हो उसकी अगली तिमाही की समय सीमा निस्तारण हेतु निर्धारित की जाती है।

10. सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिल के सत्यापन किए जाने की स्थिति में तथा बिल का सत्यापन न होने पर उसके सम्बन्ध में की गई कार्यवाई की वस्तुस्थिति जोनल एडीशनल कमिश्नर को निर्धारित समय-सीमा में प्रेषित की जाएगी एवं जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा प्रत्येक बिल के सम्बन्ध में कृत कार्यवाई की सूचना व्हाट्सऐप अथवा ईमेल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के अगले सप्ताह के भीतर केन्द्रीकृत बिल संग्रहण केन्द्र को प्रेषित की जाएगी।

11. बिना जी.एस.टी.आई.एन./टिन नम्बर के बिलों के सम्बन्ध में उचित अधिकारी द्वारा एक माह के भीतर कार्यवाई सम्पन्न करके कृत कार्यवाई की सूचना जोनल एडीशनल कमिश्नर को प्रेषित की जाएगी तथा जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा व्हाट्सऐप अथवा ईमेल के माध्यम से कृत कार्यवाई की सूचना अगले एक सप्ताह के भीतर केन्द्रीकृत बिल संग्रहण केन्द्र को प्रेषित की जाएगी।

यह व्यवस्था बिलों के माध्यम से करापवंचन रोकने हेतु प्रभावी की जा रही है, अतः सम्बन्धित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे बिलों के सत्यापन किये जाने एवं सत्यापन न होने की स्थिति में निर्देशानुसार गुणवत्तापरक निस्तारण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता क्षम्य न होगी।

ह०

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृ.प.सं. एवं दिनांक उक्तः</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/अपर निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान/समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 वाणिज्य कर/समस्त ज्वाइंट कमिश्नर वाणिज्य कर/समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर/समस्त असि.कमि. वाणिज्य कर/समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
3. ज्वाइंट कमिश्नर (आई.टी.) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड किए जाने हेतु।
4. समस्त अनुभाग प्रभारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. जन सम्पर्क अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय को व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

19/9/17